

1. The Times of India Dated: 06.01.2016

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION**  
Wing-II, Hans Bhawan, 1 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

**ADVERTISEMENT**

The Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, New Delhi has appointed NCTE Review Committee vide its notification No. F 11-47/2014/EE-10 dt. 12<sup>th</sup> October, 2015. The TORs of the Review Committee are:-

- (i) Evaluate the performance of the NCTE in fulfilling its objectives of achieving planned and coordinated development of Teacher Education system.
- (ii) Suggest additional measures consistent with the Justice Verma Commission's recommendations for improving the efficiency and effectiveness of the NCTE.
- (iii) Review the system put in place for appraisal of applications for recognition at Regional Committee level, their efficacy and need for laying down set timelines for completion of various stages of processing of applications.
- (iv) Suggest measures to enable the NCTE to discharge its development function, i.e. research, faculty development and curriculum development, effectively.
- (v) Draw upon international experience and suggest improvement in regulatory processes at the NCTE Hqrs. and the Regional Committee level with a view of making the processes nonobtrusive without compromising on the effectiveness of the Regulation and the regulatory process.
- (vi) Review the extent of convergence and coordination with other bodies such as the University Grants Commission (UGC) and the affiliating Universities and suggest measure for further improvement.
- (vii) Suggest measures for operationalizing a robust accreditation system for TEIs with or without partnering with NAAC.
- (viii) Recommend measures for enhancing the use of ICT and e-Governance tools to improve functioning of the NCTE and its Regional Committees.
- (ix) Recommend any other innovative measures germane to fulfilling the objectives of the NCTE in the present and emerging national and international context.

Stake holders in teacher education are requested to mail their views / suggestions etc. on these TORs to the NCTE Review Committee on the email I.d.: [chairmannctereviewcommittee@gmail.com](mailto:chairmannctereviewcommittee@gmail.com) by 31<sup>st</sup> January, 2016.

Prof. Mchd. Akhtar Siddiqui  
Chairman, NCTE Review Committee



**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्**  
हंस भवन, खंड-2, 1 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

**विज्ञापन**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत, नई दिल्ली ने अपनी दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 की विज्ञापित सं. एफ 11-47/2014ईई-10, द्वारा राअशिप समीक्षा नियुक्ति की है। इस परीक्षा समिति के टीओआर निम्नलिखित हैं:

- (i) अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास प्राप्त करने के इसके उद्देश्यों को पूरा करने में राअशिप के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।
- (ii) राअशिप की सक्षमता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए न्यायधीश वर्मा आयोग की सिफारिशों के अनुकूल अतिरिक्त उपाय सुझाना।
- (iii) क्षेत्रीय समिति के स्तर पर मान्यता के लिए आवेदन-पत्रों के मूल्य निर्धारण के लिए, उनकी क्षमता और आवेदन-पत्रों के संसाधन की विभिन्न अवस्थाओं की पूर्ति के लिए समय निर्धारण की आवश्यकता की दृष्टि से व्यवस्था की समीक्षा करना।
- (iv) राअशिप को इसके विकासात्मक क्रिया-कलापों जैसे अनुसंधान, संकाय विकास और पाठ्यचर्या विकास को प्रभावी रूप से सम्पन्न करने की दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु उपाय सुझाना।
- (v) राअशिप मुख्यालय और क्षेत्रीय समिति स्तर पर विनियामक प्रक्रियाओं का विनियम और विनियामक प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर किसी प्रकार का समझौता किए बिना प्रक्रिया के प्रछन्न बनाने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर सुधार के उपाय सुझाना।
- (vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और सम्बद्ध विश्वविद्यालयों जैसे अन्य निकायों के साथ अभिसरण और समन्वय की विस्तार सीमा की समीक्षा करना तथा भावी सुधार के सुझाव देना।
- (vii) एनएएसी के साथ भागीदारी से अथवा इसके बिना टीईएल हेतु एक संतुलित प्रत्यायन प्रणाली परिचालन हेतु उपाय सुझाना।
- (viii) राअशिप और इसकी क्षेत्रीय समितियों की कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु आईसीटी और ई-गवर्नेंस उपकरणों के प्रयोग में वृद्धि करने हेतु उपाय संस्तुत करना।
- (ix) वर्तमान और भावी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राअशिप के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई अन्य नवीन उपाय संस्तुत करना।

अध्यापक शिक्षा में संबंधित पणधारियों से अनुरोध है कि वे अपने विचार/सुझाव आदि दिनांक 31 जनवरी 2016 तक राअशिप समीक्षा समिति को इन टीओआर पर भेजें ई-मेल आईडी: [chairmannctereviewcommittee@gmail.com](mailto:chairmannctereviewcommittee@gmail.com)

प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दिकी  
अध्यक्ष, राअशिप समीक्षा समिति